राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 886/2013/उदयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, डूंगरपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एस.एम.एस. मार्केटिंग, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

2. प्रत्याक्षेप संख्या – 1523/2013/उदयपुर.

मैसर्स एस.एम.एस. मार्केटिंग, उदयपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, डूंगरपुर. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.

श्री अमित जैन, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से.

दिनांक : 11/6/2014

निर्णय

यह अपील व क्रॉस ऑब्जेक्शन उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 5/वेट/09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़नदस्ता, रतनपुर, उदयपुर संभाग (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.2.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 9.2.2009 को नेशनल हाईवे संख्या 8 रतनपुर पर वाहन संख्या आर.जे.27/जी–7970 को चैक किये जाने पर वाहन में **'मोल्डेड फर्नीचर'** सिलवासा से उदयपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित इन्वॉयस संख्या 2896 व 2897 दिनांक 8.2.2009 प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी का होने एवं माल के साथ घोषणा–पत्र वेट–47 उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में जाहिर किया कि राज्य सरकार के

लगातार.....2

परिपत्र दिनांक 30.8.2008 द्वारा माल परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4941676 भी प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी ने प्रत्यर्थी के उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुये अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 57,775/– एवं 12.5% की दर से वैट रूपये 24,073/– कुल रूपये 81,848/– आरोपित करने का आदेश दिनांक 10.2.2009 पारित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.10.2010 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय अपील के विरूद्ध क्रॉस ऑब्जेक्शन्स भी प्रस्तुत किये गये हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक का कथन है कि सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त जांच प्रत्यर्थी की ओर से परिवहनित अधिसूचित माल के साथ घोषणा पत्र वेट–47 नहीं पाया गया था। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अधिसूचित माल का परिवहन किये जाने के लिये सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के अर्न्तगत शास्ति व वैट आरोपित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित था। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टांत (2007) 18 टैक्स अपडेट 321** अनुसार वेट अधिनियम की धारा 76(2) के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिये अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं उक्त विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किए बिना ही विधिनुसार आरोपित की गयी शास्ति को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी/प्रत्याक्षेपकर्ता के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.12(15) वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.8.2008 द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वेट–47 माल के साथ संलग्न नहीं होने पर भी व्यवहारियों के विरूद्ध शास्ति का आरोपण नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, जो दिनांक

लगातार.....3

27.2.2009 तक प्रभावी थे। अतः राज्य सरकार के उक्त नीतिगत निर्णय सम्बन्धी आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी प्रत्यर्थी के परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वेट–47 संलग्न नहीं होने के आधार पर, सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित करना अविधिक होने के कारण, सक्षम अधिकारी के शास्ति आरोपण के आदेश को अपास्त किए जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान अभिभाषक प्रत्याक्षेपकर्ता द्वारा क्रॉस ऑब्जेक्शन के समर्थन में कथन किया गया कि राजस्व द्वारा अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत की गयी है, अतः समयबाधित होने के कारण अस्वीकार की जावे।

उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में दिनांक 9.2.2009 को सक्षम अधिकारी की चैकिंग के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा परिवहनित अधिसूचित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वेट–47 संलग्न नहीं पाये जाने पर, वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति व वैट का आरोपण किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.8.2008 के द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान घोषणा प्ररूप वेट–47 एवं वेट–49 माल के साथ नहीं होने पर भी व्यवहारी के विरूद्ध शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के निर्देश हैं तथा उक्त आदेश दिनांक 27.2.2009 तक प्रभावी रहा है। अतः राज्य सरकार के उक्त नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त जांच दिनांक 9.2.2009 को परिवहनित विवादित माल के साथ घोषणा पत्र वेट–47 नहीं होने पर, अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए, प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति व वैट आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन्स में अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपील समयावधि पश्चात प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्व की अपील गुणावगुण पर ही खारिज की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में समयावधि के सम्बन्ध में निर्णय दिया जाना आवश्यक नहीं रहता है। अतः प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन्स भी अस्वीकार किये जाते हैं।

लगातार.....4

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के प्रत्यर्थी के विरूद्ध आरोपित वैट व शास्ति को अपास्त किए जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की जाने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन्स अस्वीकार किये जाते हैं तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
11/06/14